दूरभाष नं0 कार्यालय : 2716609
फैक्स : 2716603

उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016

पत्रांक ते0प0–4804 /तेन्दूपत्ता मियाद वृद्धि दिनांक 03 नवम्बर 2026

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 वन निगम
प्रयागराज/लखनऊ क्षेत्र।

विषयः– तेन्दूपत्ता लाट की किश्तें ससमय न भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक ते0प0–8700, दिनॉक 18.02.2026

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्ष 2025 सीजन में आमंत्रित तेन्दूपत्ता ई–निविदा में अग्रिम बिक्री की गयी लाटों की किश्तें जमा करने की समय सीमा माह अप्रैल 2026 में समाप्त हो चुकी है। तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री ई–निविदा की शर्तों में क्रय की गयी लाटों की किश्तें ससमय जमा न करने पर बिक्री निरस्त कर क्रेता को काली सूची में दर्ज करने एवं लाट की पुर्नबिक्री कर भू–राजस्व से वसूली करने का प्राविधान है।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कई क्रेताओं द्वारा वर्ष 2025 सीजन में अग्रिम बिक्री की गयी लाटों की किश्तें निर्धारित अवधि में जमा कर निकासी नहीं ली गयी है। अवगत करायें कि वर्तमान में वर्ष 2025 में कितनी लाटों में क्रेताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा में किश्तें जमा कर निकासी नहीं ली गयी है एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार क्या कार्यवाही की गयी है? तेन्दूपत्ता लाटों की किश्तें ससमय जमा न करने से वन निगम को राजस्व की हानि हो रही है।

अतः आप वर्ष 2025 में अग्रिम बिक्री की गयी ऐसी लाटें जिनमें अभी भी किश्तें शेष हैं, के विरूद्ध तत्काल नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार लाटें जब्त करने एवं फर्म को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)
महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता)
3/11/26

पत्रांक ते0प0–4804/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, दुद्धी, वाराणसी एवं झॉसी को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वर्ष 2025 एवं पूर्व वर्षों की विभिन्न निविदा/नीलाम में बिक्री की गयी लाटें जिनमें अभी भी देयता शेष है का विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(सुजॉय बैनर्जी)
महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता)
3/11/26